



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 813]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 24, 2004/आश्विन 2, 1926

No. 813]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24, 2004/ASVINA 2, 1926

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2004

का.आ. 1037(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निर्वाचित होने पर केन्द्र सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61), की धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) के साथ पठित उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार श्री जिले सिंह चौहान, विधायक, श्री महाबल मिश्र, विधायक तथा श्री मांगे राम गर्ग, विधायक को तत्काल प्रभाव से दिल्ली विकास प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त करती है।

[सं. के-11011/21/2004-डीडीआईए]

परमजीत सिंह, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2004

S.O. 1037 (E).—Pursuant to their election by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, the Central Government in accordance with the provisions of Sub-section (i), read with clause (f) of Sub-section (3) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), hereby nominates Shri Jile Singh Chauhan, Shri Mahabal Mishra and Shri Mange Ram Garg, MLAs as Members of the Delhi Development Authority with immediate effect.

[No. K-11011/21/2004-DDIA]

PARMJIT SINGH, Desk Officer